

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S)
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 16/01/2020

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

विषय:- प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

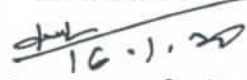
महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-447(S), दिनांक 16.01.2020-सह-पठित ज्ञापांक-448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

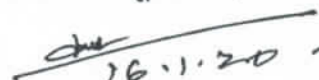
इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाएँ, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्तें जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

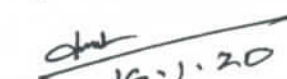
विश्वासभाजन


16.01.20
(अमृत लाल मीणा)

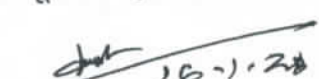
ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.01.20
(अमृत लाल मीणा)

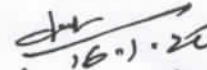
ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.01.20
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.01.20
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, पथ
निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.1.20
(अमृत लाल मीणा)